न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर0ए0एस0
प्रकरण सं0 04/14

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर।

प्रार्थी

बनाम

1. जैमल सिंह पुत्र सुमन्द सिंह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (अलॉटी)
2. जसवन्त सिंह पुत्र सुखचैन सिंह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर (खरीददारान)
3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सुखचैन सिह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर (खरीददारान)
4. मु0 दतार कौर जोजा श्री हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर (खरीददारान) (मृतका)

4/1 जगमाल सिंह पुत्र हरबन्श सिंह
4/2 इन्द्रजीत सिंह पुत्र हरबन्स सिंह
4/3 हरभजन सिंह पुत्र हरबन्स सिंह
4/4 ईकबाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह
4/5 सुरेन्द्र कौर पुत्री हरबन्स सिंह

} मु0 दतार कौर पत्नी हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के वारिसान

अप्रार्थीगण

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13(ए) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थिति : 1. श्री हरवीर सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से
2. श्री विक्रम बिश्नोई, अधिवक्ता, अप्रार्थी 4/1,4/3,4/4
3.श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता, अलाटी

आदेश **दिनांक : 31.05.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर ने अपने पत्र कमांक टीआरए/14/682 दिनांक 27–11–2014 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर कथन किया है कि मुताबिक जमाबन्दी चक 69 आर.बी. का मु.न. पुराना 51 नया 38 पत्थर नम्बर 197/274 कुल 3.036 हैक्टर नहरी मय खाला यानि 12 बीघा नहरी भूमि श्री जैमल पुत्र समन्द सिंह कौम जटसिख सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। मौका पर जानकारी अनुसार अन्तिम क्रेता दातार कौर फौत हो चुकी है उसके वारिस ब0हि0बराबर काबिज है। उक्त भूमि चक 69 आर.बी. का मु.न. पुराना 51 नया 38 पत्थर नम्बर 197/274 कुल 3.036 हैक्टर नहरी मय खाला यानि 12 बीघा नहरी भूमि में से दिनांक 02.08.69 के अनुसार किला नम्बर 1 ता 6 कुल 6 बीघा जसवन्त सिंह पुत्र सुखचैन सिंह कौम जटसिख साकिन 69 आर.बी. के द्वारा जरिये बैयनामा के खरीद की हुई है। इसके अलावा मु.न. 51 किला नम्बर 7 ता 12 कुल 6 बीघा नहरी दिनांक 02.08.1969 को भूपेन्द्र सिंह वल्द सुखचेन सिंह कौम जटसिख सा. 69 आर.बी. द्वारा खरीद की गई। सी0 विक्रेता जसवन्त सिंह वल्द सुखचैन सिंह कौम जटसिख सा. 69 आर.बी. व भूपेन्द्र सिंह वल्द सुखचैन सिंह कौम जटसिख साकिन 69 आर.बी. द्वारा चक 69 आरबी का मु.न. 51 का किला नम्बर 1 ता 12

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

समस्त भूमि जरिये बैयनामा मु. दतार कौर जोजा श्री हरबन्स सिंह कौम जटसिख साकिन 69 आर.बी. द्वारा दिनांक 07.08.1972 को खरीद की गई है। मौका पर केतागण मु0 दतार कौर जोजा हरबंस सिंह कौम जटसिख साकिन 69 आर.बी. के वारिसान काबिज हैं तथा उनके द्वारा काश्त की जा रही है। उक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है। सैल रजिस्टर में रकबा गैरखातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिकॉर्ड इस भूमि पर कोई स्थगन /विवाद व रकबा खारिजी का कोई नोट अंकित नहीं है।

उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अलाटी जयमल सिंह को चक 69 आर.बी. का मु.न. पुराना 51 नया 38 पत्थर नम्बर 197/274 कुल 3.036 हैक्टर यानि 12 बीघा नहरी रकबा टी.सी. (अस्थायी कृषि) दिनांक 23.07.1953 से ही टी.सी. पर था दिनांक 23.07.1963 को उक्त रकबा अलाटी जयमल सिंह को आवंटित हुआ था। दिनांक 02.08.1969 को जयमल सिंह ने उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थी जसवन्त सिंह को किला नम्बर 1 ता 6 कुल 6 बीघा जरिये बैयनामा बेचान की थी इसके अलावा मु.न. 51 किला नम्बर 7 ता 12 कुल 6 बीघा नहरी दिनांक 02.08.1969 को भूपेन्द्र सिंह वल्द सुखचेन सिंह कौम जटसिख सा. 69 आर.बी. जरिये बैयनामे बेचान की थी। इस प्रकार कुल 12 बीघा भूमि बेचान की एवं इसका कब्जा भी केतागण को दे दिया गया। दिनांक 07.08.1972 को केतागण जसवन्त सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह द्वारा उक्त भूमि मु0 दतार कौर को बेच दी। दतार कौर की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस वर्तमान में ब.हि.ब. काबिज है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अनवानी प्रकरण डिप्टी सिंह वगैरा बनाम सरकार निर्णय दिनांक 10.11.2009 एवंम आर.आर.डी. दिनांक 14.01.2019 में अनवानी निहाल चन्द बनाम स्टेट ऑफ राज0 अपील नम्बर 4290/2018 की प्रतियां पेश कर बहस में कहा कि धारा 13 क में सम्मन फीस जमा करवाई जाकर विधिमान्य घोषित किया जा सकता है। जो शास्ती/शुल्क जमा करवाने बाबत कोई लिमिटेशन नहीं है जो शास्ती बनेगी हम जमा करवाने को तैयार है बेचाननामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अतः अप्रार्थीगण से शमन फीस जमा करवाई जाकर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13क (1–क) के तहत प्रकरण में नियमन की कार्यवाही की जावे।

राजकीय अभिभाषक श्री हरवीर सिंह बराड़ द्वारा **माननीय राज0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक दृष्टान्त 2010(1) डीएनजे राज0 पेज 162 हरजीतसिंह बनाम स्टेट एवंम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनवानी प्रकरण अपील नम्बर 216/83/श्रीगंगानगर अनवानी कमलाकुमारी एवं अन्य बनाम कमला एवं अन्य निर्णय दिनांक 22.06.1992 का उद्धरण पेश करते हुए कथन किया** कि विवादग्रस्त भूमि आलॉटी जयमल सिंह पुत्र सुमन्द सिंह को वर्ष 1963 को चक 69 आर.बी. का मु.न. पुराना 51 नया 38 पत्थर नम्बर 197/274 कुल 3.036 हैक्टर यानि 12 बीघा नहरी भूमि आवंटित हुई थी और उसके द्वारा जिला कलक्टर की बिना पूर्व अनुमति के दिनांक 02.08.1969 को अलॉटी द्वारा आवंटित भूमि को बिना विधिवत् सक्षम मंजूरी प्राप्त किये अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 को दिनांक 02.08.1969 को सात वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्टर्ड बैयनामा से गैरखातेदारी भूमि का विक्रय कर दिया। और ऐसा विक्रय जो आवंटन के सात साल के भीतर किया गया है को माननीय राज0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक दृष्टान्त 2010(1) डीएनजे राज0 पेज 162 हरजीतसिंह बनाम स्टेट विधिसम्मत् नही माना गया है इसलिए उक्त विवादित रकबा नियमन योग्य न होने के कारण रकबा बहक सरकार लिया जाना चाहिए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

हमने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक टी0आर0ए0/14/682 दिनांक 27.11.2014 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 27.11.2014 के अनुसार

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विवादग्रस्त भूमि जयमल सिंह पुत्र सुमन्द सिंह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी. को वर्ष 1963 को आवंटित हुई है और उसके द्वारा दिनांक 02.08.1969 को गैरखातेदारी के दोरान जिला कलक्टर की बिना पूर्व अनुमति के आवंटन के सात साल के भीतर उक्त रकबा अप्रार्थी जसवन्त सिंह को चक 69 आर.बी. के मु.न. 51 पुराना नया 38 किला नम्बर 1 ता 6 कुल 6 बीघा को विक्रय किया गया एवं इसके अलावा मु.न. 51 पुराना नया 38 किला नम्बर 7 ता 12 कुल 6 बीघा नहरी दिनांक 02.08.1969 को भूपेन्द्र सिंह वल्द सुखचेन सिंह कौम जटसिख सा. 69 आर.बी. को विक्रय की गयी। उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए(1ए) के तहत 7–9–88 से पूर्व जिला कलक्टर की बिना पूर्व अनुमति के आवंटन दिनांक से सात साल पश्चात गैरखातेदारी के दोरान किये गये अन्तरण को निर्धारित शमन शुल्क लेकर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन रहते हुए नियमन किये जाने का प्रावधान है।

चूंकि विवादग्रस्त भूमि का आवंटन वर्ष 1963 को हुआ है और आवंटी जयमल सिंह द्वारा दिनांक 02.08.1969 को जिला कलक्टर की बिना पूर्व अनुमति के आवंटन से सात साल के भीतर जसवन्त सिंह एंव भूपेन्द्र सिंह को अन्तरण किया गया है। इसलिए ऐसा अन्तरण राज0 उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए(1ए) के अन्तर्गत नियमन योग्य नहीं है। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **माननीय राज0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक दृष्टान्त 2010(1) डीएनजे राज0 पेज 162 हरजीतसिंह बनाम स्टेट एवंम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनवानी प्रकरण अपील नम्बर 216/83/श्रीगंगानगर अनवानी कमलाकुमारी एवं अन्य बनाम कमला एवं अन्य निर्णय दिनांक 22.06.1992 वगैरा अवलोकनीय है जिसमें आवंटन के सात साल के भीतर किये गये अन्तरण को विधिमान्य द्योषित नही किया ।**

राज0 उपनिवेशन अधिनियम–1954 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत अप्रार्थी का नियमन संबंधी प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है चूंकि प्रथम अन्तरण के केतागण के पक्ष में किये गये अन्तरण विधिमान्य घोषित न करने के फलस्वरूप द्वितीय केतागण के पक्ष में किये गये अन्तरण स्वतः ही अमान्य है और द्वितीय केतागण को विवादग्रस्त भूमि में कोई विधि सम्मत् हित व स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। इसलिए द्वितीय अन्तरण भी विधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय केतागण का प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार किया जाता है और विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी जसवन्त सिंह को चक 69 आर.बी. के मु.न. 51 पुराना नया 38 किला नम्बर 1 ता 6 कुल 6 बीघा विक्रय की गयी एवं इसके अलावा भूपेन्द्र सिंह वल्द सुखचेन सिंह कौम जटसिख सा. 69 आर.बी. को मु.न. 51 पुराना नया 38 किला नम्बर 7 ता 12 कुल 6 बीघा नहरी दिनांक 02.08.1969 को विक्रय की गयी है एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दातार कौर जोजा हरबंस सिंह को बेचान की गयी है को राज्यपक्ष में अधिग्रहण (Resume) की जाती है। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा तुरन्त राज्यपक्ष में लेकर उचित व्यवस्था करे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन) 31.5.19
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर